हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे तहसीलदार बेगूं से फर्द बटवारा रिपोर्ट पूर्व मे प्राप्त हुई जिस पर वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई, वकील वादी ने अपनी बहस मे फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। प्रकरण मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया, डिक्री की एक प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जावे। पत्रावली दाखिल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्या :– 144/2016

1. खातुनबाई पत्नि स्व.नवीबक्ष मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील वेगूँ
2. मोहम्मद सलीम पिता स्व. नवीबक्ष मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील वेगूँ
3. बाबू पिता स्व. नबीबक्ष मुसलमान निवासी वेगूँ तहसील बेगूँ के बजाय :–
   3/1–फरीदाबानू पत्नि बाबु मंसूरी मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील वेगूँ
   3/2–शकीला पिता बाबू मंसूरी मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
   3/3– रफीक पिता बाबू मंसूरी मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
   3/4– रेशमा पुत्री बाबू मंसूरी मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
   3/5– सामना पुत्री बाबू मंसूरी मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
   3/6– शबनम पुत्री बाबू मंसूरी मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
4. मेहरून पिता स्व. नबीबक्ष मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
5. बानु पिता स्व. नबीबक्ष मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. फकरूदीन पिता स्व. अब्दुल रहमान जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
2. हुरा पिता स्व. अब्दुल रहमान जी जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
3. अनीश पिता पीरू जी जी मुसलमान निवासी विजयपुर तह. व जिला चितौडगढ़
4. इम्तियाज पिता पीरू जी मुसलमान निवासी विजयपुर तह. व जिला चितौडगढ़
5. सोनू पिता पीरू जी मुसलमान निवासी विजयपुर तह. व जिला चितौडगढ़
6. नजमा पिता पीरू जी मुसलमान निवासी विजयपुर तह. व जिला चितौडगढ़
7. रूक्या बानू पिता स्व. अब्दुल रहमान जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
8. गुलाम फारूक पिता स्व. गुलाम रसूल जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
9. अब्दुल वहीद पिता स्व. गुलाम रसूल जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
10. रईश पिता स्व. गुलाम रसूल जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
11. मोहम्मद रफीक पिता गुलाम रसूल जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
12. मोहम्मद अनीस पिता गुलाम रसूल जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
13. जुलिया पुत्री गुलाम रसूल जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
14. बेबी पिता गुलाम रसूल जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
15. वजीर मोहम्मद पिता स्व. इकबाल जी नाबालिग व बलायत चाचा फकरूदीन मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
16. मोहम्मद यासीन पिता स्व. इकबाल जी नाबालिग व बलायत चाचा फकरूदीन मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
17. मोहम्मद ताईफ पिता स्व. इकबाल जी नाबालिग व बलायत चाचा फकरूदीन मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
18. गरिबा माता स्व. जन्नतबाई पिता हुसैन जी मुसलमान निवासी सिंगोली तह0 जावद जिला नीमच (मु.प्र.)
19. नुरमोहम्मद माता स्व. खातुन पिता शफी मोहम्मद मुसलमान निवासी जूनीबेगूँ तह0बेगूँ
20. मोहम्मद हुसैन माता स्व. खातुन पिता शफी मोहम्मद मुसलमान निवासी जूनीबेगूँ तह0बेगूँ
21. हुसैन आरा माता स्व. खातुन पिता शफी मोहम्मद मुसलमान निवासी जूनीबेगूँ तह0बेगूँ
22. किशनलाल पिता नारायण जी बलाई निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
23. मांगीलाल पिता ताराचन्द्र बलाई निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
24. हीरालाल पिता ताराचन्द्र बलाई निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
25. सीता पुत्री ताराचन्द्र बलाई निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
26. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
27. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपतिस्थत ::– श्री सत्यनारायण माली
अधिवक्ता वादीगण
श्री हरीश चन्द्र शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं.1से 3,11,13,14
श्री फरीद मिर्जा
अधिवक्ता प्रतिवादी4 से 10

निर्णय दिनांक :–04.09.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम जूनी वेगूँ प0ह0 वेगूँ में स्थित है जिसकी तफसील निम्न प्रकार से है :–

खाता संख्या	आराजीनम्बर	रकबा हैक्टर
17	150	0.2830 हैक्टर
कुल कीता–	1	0.2830 हैक्टर

खाता संख्या	आराजीनम्बर	रकबा हैक्टर
56	156	0.7760
	159	0.6640
	160	0.1380
	162	0.6960
	163	0.3480
	164	0.4050
कुल कीता–	6	3.0270 हैक्टर

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सामलाती खातेदारी मे दर्ज होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण को इस कृषि आराजीयात का तहसील कार्यालय में चलकर विभाजन कराने को दिनांक 07.11.2016 को कहा तो प्रतिवादी ने तहसील में चलकर बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया इसलिए वादीगण को यह वादपत्र अपने खाते की भूमि का विभाजन कराने हेतु प्रस्तुत करनें की आवश्यकता पडी है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में अंकित आराजीयात के आराजी नम्बर 150 में वादीगण का 1/45 हक हिस्सा व आराजी संख्या 150, 159, 160, 162, 163, 164 मे से वादीगण 1/15 हिस्सा अलग करने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराई जाकर भूमि का कानूनन मिट्स एण्ड बाउण्ड्स व अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन कराये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराई जावें।

यह कि वाद कारण दिनांक 07.11.2016 को वादीगण के साथ प्रतिवादीगण द्वारा तहसील कार्यालय में चलकर बंटवारा कराने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना कर देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वाद पत्र विभाजन व घोषणा होकर प्रतिवादी भूमिधारी एवं प्रतिवादी राजस्थान सरकार वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से इन्हें पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वाद वर्णित भूमि न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से आपके श्रवणाधिकार का होकर आप में पेश है। यह कि वादपत्र मय सम्मन प्रोससे व अधिक प्रति एवं दस्तावेजो के साथ पेश होकर अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

अतः वादीगण न्यायालय श्रीमान आपसे निम्न अनुतोष प्राप्त करने की वैद्य अधिकारणी है।

क– कि वादपत्र की चरण संख्या 1 तें अंकित कृषि आराजीयात मे से आराजी संख्या 150 मे वादीगण का 1/45 हिस्सा व आराजी संख्या 150, 159, 160, 162, 163, 164 मे से वादीगण 1/15 हिस्सा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स व अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन यिका जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में भी अलग अलग दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराई जावें।

ख– कि वकील मेहनताना व खर्चा मुकद्मा भी वादीगण को प्रतिवादी से दिलाया जावें।

ग– कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ हो वादीगण को प्रदान कराया जावें।

दावा पत्रावली में न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 11,13 व 14 की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश चन्द्र शर्मा ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 10 तक की ओर से अधिवक्ता श्री फरीद मिर्जा द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए जवाब दावा प्रतिवादीगण संख्या 4,5,6,7,8,9,10 की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि कलम संख्या 1 व 2 स्वीकार है प्रतिवादीगण संख्या 4 से 10 गुलाम रसूल जी के विधिक उत्तराधिकारी है और रमजु की संपति का 1/3 हक जो गुलाम रसूल जी को मिला है उस पर काबीज है। कलम संख्या 3 आंशिक स्वीकार बंटवारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

कलम संख्या 4 स्वीकार है। कलम संख्या 5 स्वीकार है तथा हम प्रतिवादीगण सं0 4 से 10 हमारे पिता गुलाम रसूल जी की संतान है और अपने हक भी अलग करवाना चाहते है। कलम संख्या 6,7,8,9 व 10 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारे हिस्से एवं वादीण्गा के हिस्से अनुसार बंटवारा का दावा स्वीकार फरमाया जावें। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1,2,3 व 14,15,16 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने से उनका जवाब दावा न्यायालय द्वारा बन्द किया जाने का आदेश दिया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 11,12,13 व 17 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 4,5,6,7,8,9,10 की ओर से ईकबालिया जवाब प्रस्तुत होने पर व शेष प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने सें पत्रावली में तनकी पत्र कायम नहीं किया जाकर वादीगण की ओर से साक्ष्य वादीगण की प्रस्तुत की गई। साक्ष्य वादीगण में वादी संख्या 2 मोहम्मद सलीम पिता स्व. नबीबक्ष के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये वादी द्वारा मुख्य परीक्षण में पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपने बयान कलमबद्ध कराये, वादीगवाह से जिरह निल व पुनः पुरीक्षण निल रहा है। इस प्रकार प्रकरण मे वादीगण की साक्ष्य पूर्ण होने पर व प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई जिन्होने अपनी बहस वादपत्र अनुसार करते हुए वादीगण का हिस्से अनुसार विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार व अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

बहस अधिवक्ता वादीगण की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा जूनीबेगॅू पटवार हल्का बेगॅू प्रदर्श–1 का अवलोकन किया गया 150, 159, 160, 162, 163, 164 कीता– 6 रकबा 3.0270 हैक्टर भूमि मे वादीगण के पिता नबीबक्ष गुलाम रसूल पिता रमजु मुसलमान का हिस्सा 2/3 दर्ज अंकित है। प्रदर्श– 2 नकल जमाबंदी मौजा जूनीबेगॅू प0ह0 बेगॅू में अंकित आराजी संख्या 150 रकबा 0.2830 हैक्टर भूमि में वादीगण के पिता नवीबक्ष गुलाम रसूल पिता रमजू मुसलमान का हिस्सा 1/9 दर्ज अंकित है। प्रदर्श– 3 नक्शाट्रेस आराजी का है। इस प्रकार वाद वर्णित कृषि आराजी में वादीगण का मौजा जूनबेगॅू की आराजी संख्या 150, 159, 160, 162, 163, 164 कीता– 6 रकबा 3.0270 हैक्टर भूमि 1/15 हिस्सा प्रत्येक का तथा मौजा जूनबेगॅू की आराजी संख्या 150 रकबा 0.2830 हैक्टर भूमि में वादीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/45 होने से वादीगण उक्त हिस्सानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन करा पाने के अधिकारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत पाये जाते है । वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है ।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा जूनीबेगॅू प0ह0 बेगॅू की आराजी संख्या 150, 159, 160, 162, 163, 164 कीता– 6 रकबा 3.0270 हैक्टर भूमि में वादीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/15 व शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण तथा मौजा जूनीबेगॅू की आराजी संख्या 150 रकबा 0.2830 हैक्टर भूमि में वादीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/45 व शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण का रखते हुए आराजी का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार व अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगॅू को 2000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है आराजी का उपरोक्तानुसार विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य करते हुए विभाजन प्रस्ताव दो प्रति में मय नक्शाट्रेस के साथ न्यायालय में भिजवावें। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगॅू को दी जावें।

निर्णय आज दिनांक .... को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगॅू

मूलवाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या :– 144/2016

1. खातुनबाई पत्नि स्व.नबीबक्ष मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
2. मोहम्मद सलीम पिता स्व. नबीबक्ष मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
3. बाबू पिता स्व. नबीबक्ष मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ के बजाय :–
   3/1–फरीदाबानू पत्नि बाबु मंसूरी मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
   3/2–शकीला पिता बाबू मंसूरी मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
   3/3– रफीक पिता बाबू मंसूरी मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
   3/4– रेशमा पुत्री बाबू मंसूरी मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
   3/5– सामना पुत्री बाबू मंसूरी मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
   3/6– शबनम पुत्री बाबू मंसूरी मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
4. मेहरून पिता स्व. नबीबक्ष मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
5. बानु पिता स्व. नबीबक्ष मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. फकरूदीन पिता स्व. अब्दुल रहमान जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
2. हुरा पिता स्व. अब्दुल रहमान जी जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
3. अनीश पिता पीरू जी जी मुसलमान निवासी विजयपुर तह. व जिला चितौडगढ़
4. इम्तियाज पिता पीरू जी मुसलमान निवासी विजयपुर तह. व जिला चितौडगढ़
5. सोनू पिता पीरू जी मुसलमान निवासी विजयपुर तह. व जिला चितौडगढ़
6. नजमा पिता पीरू जी मुसलमान निवासी विजयपुर तह. व जिला चितौडगढ़
7. रूक्या बानू पिता स्व. अब्दुल रहमान जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
8. गुलाम फारूक पिता स्व. गुलाम रसूल जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
9. अब्दुल वहीद पिता स्व. गुलाम रसूल जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
10. रईश पिता स्व. गुलाम रसूल जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
11. मोहम्मद रफीक पिता गुलाम रसूल जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
12. मोहम्मद अनीस पिता गुलाम रसूल जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
13. जुलिया पुत्री गुलाम रसूल जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
14. बेबी पिता गुलाम रसूल जी मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
15. वजीर मोहम्मद पिता स्व. इकबाल जी नाबालिग व बलायत चाचा फकरूदीन मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
16. मोहम्मद यासीन पिता स्व. इकबाल जी नाबालिग व बलायत चाचा फकरूदीन मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
17. मोहम्मद ताईफ पिता स्व. इकबाल जी नाबालिग व बलायत चाचा फकरूदीन मुसलमान निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
18. गरिबा माता स्व. जन्नतबाई पिता हुसैन जी मुसलमान निवासी सिंगोली तह0 जावद जिला नीमच (मु.प्र.)
19. नुरमोहम्मद माता स्व. खातुन पिता शफी मोहम्मद मुसलमान निवासी जूनीबेगूँ तह0बेगूँ
20. मोहम्मद हुसैन माता स्व. खातुन पिता शफी मोहम्मद मुसलमान निवासी जूनीबेगूँ तह0बेगूँ
21. हुसैन आरा माता स्व. खातुन पिता शफी मोहम्मद मुसलमान निवासी जूनीबेगूँ तह0बेगूँ
22. किशनलाल पिता नारायण जी बलाई निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
23. मांगीलाल पिता ताराचन्द्र बलाई निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
24. हीरालाल पिता ताराचन्द्र बलाई निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
25. सीता पुत्री ताराचन्द्र बलाई निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
26. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
27. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय प्राथमिक डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53–88 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनाराण माली की उपस्थिती एवं में तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री हरीश चन्द्र शर्मा एवं श्री फरीद मिर्जा की उपस्थिती में वाद अ.धा. 53–88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 04.09.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88 आर.टी.एक्ट का निम्नानुसार प्राथमिक डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा जूनीबेगूँ प0ह0 बेगूँ की आराजी संख्या 150, 159, 160, 162, 163, 164 कीता– 6 रकबा 3.0270 हैक्टर भूमि में वादीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/15 व शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण तथा मौजा जूनीबेगूँ की आराजी संख्या 150 रकबा 0.2830 हैक्टर भूमि में वादीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/45 व शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण का रखते हुए आराजी का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार व अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 2000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है आराजी का उपरोक्तानुसार विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य करते हुए विभाजन प्रस्ताव दो प्रति में मय नक्शाट्रेस के साथ न्यायालय में भिजवावें। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जावें।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 04.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2025/648 — दिनांक :– 29-9-25

दावा संख्या 144/2016 व श्रीमति खातुन बाई बनाम फकरूदीन वगै वाद अ0धा0 53–88 राज0काश्त0अधि0 में जारी प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ